

22/10/24

आज यह पत्रावली पेश हुई। प्राथमिक के अधिकांश  
उपरोक्त प्राथमिक के अधिकांश के सुना गया। प्राथमिक  
ने यह स्थानान्तरण प्राथमिक पर न्यायालय उप-  
स्थापिका अधिकारी काडी में विचारार्थीन प्रकरण संख्या  
71/2024 उनबानी सुरेश बोरु वनाम मानसिंह बोरु  
के अन्य किसी समकक्ष रजिस्टर न्यायालय में  
स्थानान्तरित किये जाने हेतु पीठासीन अधिकारी  
श्री शशिधराम मीणा 500 काडी के विरुद्ध पेश किया  
था। चूंकि पीठासीन अधिकारी श्री शशिधराम मीणा  
500 काडी का स्थानान्तरण अन्य जिले में हो  
सुका है जिसके कारण अब यह प्राथमिक पर  
सारथीन हो जाता है। अतः प्राथमिक का यह  
प्राथमिक पर सारथीन हो जाने के कारण इसी  
स्तर पर स्थगित किया जाता है। अतः मीडिकल  
की प्रति न्यायालय 500 काडी के सूचनाई  
मिजवाई जावे। पत्रावली फंसल शुमार होकर नमर  
से कम की जाकर बाद तकमील दारिबल रफ्तार  
हो। आदेश सुनाया गया।

श्रीनिधि बी टी  
जिला कलक्टर, धौलपुर